प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 02.09.2026

➢ **थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट के इरादे से शराब में विषाक्त पदार्थ मिलाकर हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 06.10.2025 को थाना शिवली पर वादी श्री रोहित मिश्रा पुत्र स्व0 अनूप कुमार मिश्रा गांव बसौसी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर बावत अभियुक्त अनीश पुत्र रशीद निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर द्वारा उसके पिता अनूप कुमार मिश्रा को अपने साथ बाघपुर मेला ले जाना तथा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एचपी पेट्रोल पम्प बाघपुर के आगे कल्याणपुर-शिवली मार्ग पर हत्या कर शव को रोड के किनारे फेंक देना, वादी के पिता अनूप कुमार मिश्रा के पास मेला जाते समय करीब 60 से 70 हजार होने आदि के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना शिवली पर मु0अ0सं0 295/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1. अनीश पुत्र रशीद निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर, 2. 01 सहयोगी नाम,पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा संरक्षित किया गया। जिसकी रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त होने पर मृतक अनूप कुमार मिश्रा को विष दिये जाने की पुष्टि होने व अन्य साक्ष्य संकलन के क्रम में थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्त अनीश पुत्र रशीद निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर को मुखबिर खास की सूचना पर शेखूपुर गांव जाने वाले रास्ते में गुप्ता सदन के पास थाना क्षेत्र शिवली से दिनांक 01.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अनीश उपरोक्त की जामा तलशी में मृतक अनूप कुमार मिश्रा उपरोक्त से लूटे गये रुपये में से ₹7,500/- बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 123/309(6)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

अनीश पुत्र रशीद निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर उम्र 38 वर्ष।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 295/2025 धारा 103(1)/123/309(6)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि पंडित अनूप कुमार मिश्रा को मैं पहले से जानता हूँ। जो दिनांक 05.10.2025 को सुबह करीब 10, 11 बजे पंडित जी अनूप मिश्रा टिकरा चौराहे पर मिले, उनका साउंड सर्विस का सामान ग्राम टिकरा मे भुल्लू पुत्र सुलेमान के यहा जलसे में लगा था। उस साउंड का सामान लेकर जा रहे तभी मैने पंडित जी अनूप मिश्रा से कहा कि तुम्हारे यहाँ बाघपुर में मेला लगा है, तुम मुझे मेला दिखा दो। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है आ जाना और चले गये। इसके बाद करीब 06 बजे शाम को मैं अपनी नयी पैशन प्रो से पंडित जी के घर आया, तो पंडित जी अपने दरवाजे पर अपनी पत्नी व लडके रोहित के साथ बैठे थे तो मैने पंडित जी को अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर ग्राम बाघपुर पहुंचे और अपनी मोटर साइकिल जाफर बक्सा वाले के घर खड़ी कर दी और वाघपुर में अग्रेजी शराब की दुकान से 02 क्वार्टर शराब खरीदे। जिसमें 01 क्वार्टर मैने व पंडित जी ने पी लिया और 01 क्वार्टर वाद में पीने की कहकर मैनें जेब में रख लिया था और वहाँ से पैदल मेला में चले गये थे मेले में घूमते समय मैने पंडित जी अनूप मिश्रा के पास ₹ 50,000/- देखे तो मेरे मन में लालच आ गया। मेले में घूमने के दौरान मैनें मेले में लगी कीटनाशक दवा की दुकान से गेहूं में रखने वाली कीटनाशक दवा ले ली और मेले में घूमते समय पंडित से कहा कि चलो, 01 क्वार्टर शराब जो मेरे पास है कही एकांत में पीते है। तो पंडित जी मेरे साथ एकान्त में आ गये थे और मैने चुपके से कीटनाशक दवा की पुडिया पंडित जी के शराब के गिलास में मिला दी। पंडित जी ने शराब पी और अचेत होकर लुढ़क गये और मर गये। तब मैने उनकी जेब से ₹50,000/- निकालकर उनके फोन को स्विच ऑफ कर अपने पास रख लिया और उनको रोड के किनारे लिटाकर चला गया और रास्ते में जाते समय उनके फोन को चलती मोटर साइकिल से कहीं पर फेक दिया था। जो ₹ 7,500/- मेरे पास से मिले हैं वही पैसे हैं जो पंडित जी से छीने थे और रुपये अपनी जरुरतों में खर्च कर दिये है।

बरामदगी-

जामा तलाशी से लूट के ₹7,500/- नगद।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार
4. का0 1057 अंकुर अहलावत
5. रि0का0 1216 रजत तालान।